



2026:AHC-LKO:4680-DB

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ**

रिट - सी संख्या - 12541 सन 2025

कमलेश कुमार त्रिपाठी

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा सचिव शहरी विकास विभाग लखनऊ
एवं 3 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता :	एन.के. पांडे
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता :	मुख्य स्थायी अधिवक्ता, अनुपम द्विवेदी

न्यायालय संख्या - 1

**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी**

- हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एन.के. पांडे को और प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम द्विवेदी की ओर से अधिवक्ता श्री स्नेहल शुक्ला को सुना।
- प्रतिवादी संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री अनुपम द्विवेदी की ओर से अधिवक्ता श्री स्नेहल शुक्ला ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के लिए प्रस्तुत बिलों का सत्यापन किया जा रहा है और यदि कोई बकाया राशि देय है, तो उसका भुगतान जल्द से जल्द, लगभग छह सप्ताह के भीतर कर दिया जाएगा। प्रतिवादी संख्या 2 के अधिवक्ता द्वारा दिए गए बयान के अनुसार रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राँय]

जनवरी 21, 2026

-पीयूष-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।